संख्या- 359 /2025 / 3482 /चार-2025-1909163

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 15 दिसम्बर, 2025**

विषय- राज्य संग्रहालय, लखनऊ परिसर में सीवर लाइन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लाण्ट एवं नलकूप बोरिंग के स्थापना संबंधी कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-781/उ0प्र0सं0नि0-5(165)/2024-25 दिनांक 28 नवम्बर, 2025 के संदर्भ में अवगत कराना है कि राज्य संग्रहालय, लखनऊ परिसर में सीवर लाइन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लाण्ट एवं नलकूप बोरिंग के स्थापना कार्य हेतु शासनादेश सं0-150/2025/1136/चार-2025 दिनांक 28.03.2025 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु धनराशि रू0 184.82 लाख की प्रशासकीय तथा रू0 92.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। टेण्डर कास्ट/ फॉर्म-जे के अनुसार परियोजना की लागत रू0 183.85 लाख है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना- राज्य संग्रहालय, लखनऊ परिसर में सीवर लाइन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लाण्ट एवं नलकूप बोरिंग के स्थापना संबंधी कार्य हेतु टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत रू0 183.85 लाख में से पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 92.40 लाख को घटाते हुए तथा 05 प्रतिशत (रू0 9.19 लाख) धनराशि रोकते हुए, अवशेष धनराशि **रू0 82.26 लाख (रूपये बयासी लाख छब्बीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

3. शर्तें/ प्रतिबन्धः-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या- 150 /2025 /1136 /चार-2025-1909163 दिनांक 28 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

(3) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

तीय उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय / कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 82,26,000.00 (रुपये बयासी लाख छब्बीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202041061500 संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महाप्रबंधक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ/ मुख्य कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, सी0 एण्ड डी0 एस0, उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-29, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।